

- (ii) Twelfth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the First Report of the Standing Committee on Energy (Twelfth Lok Sabha) on Demands for Grants (1998-99) of the Department of Atomic Energy.
- (iii) Thirteenth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Third Report of the Standing Committee on Energy (Twelfth Lok Sabha) on Demands for Grants (1998-99) of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources.
- (iv) Fourteenth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fourth Report of the Standing Committee on Energy (Twelfth Lok Sabha) on Demands for Grants (1998-99) of the Ministry of Power.
- (v) Fifteenth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Second Report of the Standing Committee on Energy (Twelfth Lok Sabha) on Demands for Grants (1998-99) of the Ministry of Coal.

#### MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और अपने सुझावों से और अपनी आलोचना से हमें लाभान्वित होने का अवसर दिया। महोदय, कुल मिलाकर 41 सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और 5 दिनों तक ये चर्चा चली। यह इस बात का प्रतीक है कि संसद के कार्य में हमारे सदस्यों की बड़ी अभिरुचि है और वे अपना योगदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अच्छा होता यदि उस दिन जब राष्ट्रपति महोदय दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में संबोधन के लिए आए तो वहाँ किसी तरह की टोकाटकी न होती। यह ठीक है कि टोकाटकी बहुत थोड़े समय रही लेकिन उससे संसद की मर्यादा को धक्का लगा। कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिनसे माननीय सदस्य असहमत हो लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो शालीन हो और जो

संसद की मर्यादा को बढ़ाए। जो सदस्य क्षुब्ध थे, वे अनुपस्थित रहकर भी अपनी भावना प्रकट कर सकते थे या राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर अपने विचारों से अवगत करा सकते थे। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपतिजी हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं और उनके सामने किसी तरह की टोकाटकी हो, यह उचित नहीं है।

श्री नरेश यादव (बिहार): लोकतंत्र कुचल गया था बिहार में, टोकाटकी इसलिए हुई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता डा॰ मनमोहन सिंह जी समेत उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को दृढ़ करने की दिशा में सरकार द्वारा जो पहल की गई है, उसकी सराहना की है। सचमुच मैं यह बड़े सुखद आश्चर्य का विषय है कि जहाँ हम अनेक सवालों पर मतभेद रखते हैं, वहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सारा सदन, सारा देश एक होकर खड़ा हो जाता है और उनमें से एक विदेश नीति का क्षेत्र भी है। उसके अंतर्गत सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हों, जिनसे मित्रतापूर्ण संबंध हैं, उनसे संबंध और सुदृढ़ हों, इस सवाल पर भी सदन एक राय से, एक स्वर से बोलता है। केवल पाकिस्तान ही नहीं, अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी पिछले एक साल में हमने अपने संबंध बढ़ाए हैं। संबंधों में काफी प्रगति हुई है, रिश्तों में काफी गहराई आई है। हाल ही में हमारे विदेश सचिव मयमौर गए थे पहली दफे विदेश सचिव के स्तर पर सरकारी बातचीत हुई। बंगला देश के साथ हमारे संबंध में और घनिष्ठ हुए हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू करने का समझौता हो गया है? शीघ्र ही बस जाने लगेगी। बस प्रतीक बन गई है सम्बन्धों में जो कभी होती है उसको पूरा करने के वाहन के रूप में। बस हमें परबस नहीं करती। बस हमने अपने गंतव्य पर ले जाती है और इस अवसर पर हमारा गंतव्य है सभी पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंधों को बढ़ाना और इस कार्य में हमें सफलता मिल रही है। नेपाल के साथ भी हम मित्रता के पथ पर आगे बढ़े हैं। ट्रांजिट संधि का समय समाप्त हो रहा था और हमने उसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। अब कुछ वर्ष बाद इस विषय को लेकर संबंधों में अनिश्चितता नहीं रहेगी। भूटान नरेश भारत आए थे और दोनों देशों के बीच अन्य स्तर पर भी बातचीत होती रही है। हमारा सहयोग बढ़ा है और कुछ ही दिनों में हमारे विदेश मंत्री भूटान की यात्रा पर जाएंगे। श्रीलंका के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारस्परिक सहयोग के पथ पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसको अमल में लाने में कुछ अड़चनें आ रही हैं क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं

गरना चाहें जिससे केरल या तमिलनाडु में कोई समस्या पैदा हो। अगले दो-तीन दिनों में जो भी रुकावटें आ रही हैं हम उन्हें दूर कर देंगे, दोनों देश लाभान्वित होंगे ऐसा प्रयत्न करेंगे। पाकिस्तान के साथ जितने तरह से हमारे संबंधों में सुधार हुआ है उसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। कुछ आलोचना हुई है कि अब मैं लाहौर में था उस समय उग्रवादियों ने राजौरी में 25 मासूमों की हत्या कर दी। मैंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ उसी समय यह मामला उठाया और उनसे कहा कि अगर निर्दोषों की हत्या जारी रहती है तो दोस्ती को गाड़ी आगे बढ़ना मुश्किल है। बाद में उनसे जो समझौते हुए हैं उनमें एक समझौते में, लाहौर डिक्लेयरेशन में, आतंकवाद से फिर वह किसी भी रूप में हो, दृढ़ता के साथ लड़ने का एलान किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस एलान का पालन होगा और किस तरह की प्रोत्तियों का शिकार जम्मू-कश्मीर को या किसी और प्रदेश को नहीं बनाया जाएगा। लाहौर डिक्लेयरेशन शिमला समझौते का आधार पर बना हुआ है। मुझे यह शिकायत सुनकर राजबुख हुआ कि हमने शिमला समझौते का महत्व घटा दिया है। घटा नहीं दिया हमने उसका महत्व बढ़ा दिया है। उसकी चर्चा नहीं होती थी, वह बस्ते में बंद था। हमने उसको आधार बनाया और पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता किया जिसमें पाकिस्तान ने भी हमारे साथ यह कहा है कि हम शिमला समझौते का लैटर-पार्ट-सिस्ट दोनों में पालन करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह पालन होगा। सभापति जी, शायद आपकी स्मरण हो हम उन लोगों में से है जिन्होंने शिमला समझौते की आलोचना की थी। इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान से मित्रता के संबंध नहीं चाहते थे लेकिन इसलिए कि हमें शिकायत थी कि इस भूखण्ड को बदलने वाली राजनीति में, इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद भी, हम जम्मू-कश्मीर के सवाल को उस समय हल नहीं कर सके। स्थिति हमारे अनुकूल थी लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला अटका रहा। इसलिए हमने आलोचना की थी। वह प्रश्न आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यह तथ्य हुआ है कि आपस की बातचीत से सभी मामले तय होंगे। और हम समझते हैं कि रास्ते निकलेंगे जिनसे हम अपने गन्तव्य तक पहुँच सकें। हमारा इरादा है कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, जल्दी से जल्दी बीसा प्रणाली में सुधार लाए जाएं ताकि आम जनता को इससे लाभ पहुँचे। अभी बीसा बहुत मुश्किल से मिलता है। एक-दो शहरों तक ही सीमित रहता है। अधिकतर लोगों को पुलिस के पास भी जाना पड़ता है। इन सभी सवालों पर हम अपने पड़ोसी देश के साथ बातचीत करेंगे। मुझे भरोसा है कि इस पर सहमति हो जाएगी। पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई पर भी

समझौता हो गया है। इनमें मखुआरे और अन्य असेनिक बन्दी शामिल हैं जो संबंधी रहा किए जा रहे हैं।

वीसा के रांसद में हम जो पहला कदम उठाना चाहते हैं, वह यह है कि 5-6 श्रेणियों के विशिष्ट लोगों को बिना किसी रुकावट के देश भर का वीसा दिया जाए और पुलिस में जाने की जरूरत न हो। ये श्रेणियाँ आपस के बातचीत से तय होंगी। इनमें संसद के, विधान सभा के सदस्य, कोर्ट के न्यायाधीश, श्रेष्ठ कलाकार, वैज्ञानिक, इन विशिष्ट व्यक्तियों का समावेश होगा और उन्हें इस तरह का वीसा दिया जाएगा कि वे देश के किसी भी भाग में जा सकें और पुलिस में जाना उनके लिए आवश्यक न हो। दोनों देशों के बीच अखबारों और मैगज़ीन्स का भी खुला आदान-प्रदान जरूरी है। रेडियो, टेलीविज़न पर ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए जो कड़वाहट पैदा करे। इस दृष्टि से पुस्तकों का भी अवलोकन किया जाना चाहिए।

सभापति जी, चीन के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण रहे हैं। बीच में कुछ कठिनाइयाँ पैदा हो गई थीं, अब इन कठिनाइयों का निराकरण हो गया है। वार्ता सफल रही है। चीन के साथ हमारे संबंध और भी बढ़ेंगे, यह हमें विश्वास है। जो दोनों देशों ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था, उसकी बैठक करने का फैसला हुआ है। वह वर्किंग ग्रुप शीघ्र ही मिलेगा और जिन सीमा संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए बैठक कर रहा था, वह कार्य आगे बढ़ेगा। ..... (व्यवधान).....

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): डिपेंस मिनिस्टर तो होने नहीं देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री टी. एन. चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): आज तो चर्चें हैं। आज तो चुप बैठो, आराम से बैठो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, 9 महीने में वृत्तीयतिक परिदृश्य किस प्रकार बदल है, इसका सही आकलन होना चाहिए। हमारी सुरक्षा के तकाजों से हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट करने का फैसला किया। ऐसा लगा कि हम दुनिया में अलग-थलग कर दिए जाएंगे। ऐसा लगा कि हमसे नाते तोड़ लिए जाएंगे आर्थिक प्रतिबंध लगा कर हमें अपने रास्ते से विचलित करने का प्रयास किया गया लेकिन हम दृढ़ता से जमे रहे, अपने पथ पर कायम रहे। आज जो भी विदेशी मेहमान आते हैं वे यह नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया था हमारी सुरक्षा के तकाजों के बारे में एक नई समझ-बूझ पैदा हुई है। हमने जो कदम उठाया वह केवल देश को शक्ति के या वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारी प्रगति के प्रदर्शन के लिए नहीं था। सुरक्षा का परिदृश्य बदल है।

शीत युद्ध समाप्त हो गया, हर भू-खण्ड में नई-नई परिस्थिति पैदा हो रही है और हमें लगा कि सुरक्षा के मामले में मन में दुविधा नहीं रहनी चाहिए। धीरे-धीरे हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप और हम जिस पक्ष को लेकर खड़े थे, उस पक्ष को तर्कसंगत मानते हुए अन्य देशों ने अपने रवैये में परिवर्तन किया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। हम इस भू-खण्ड में शस्त्रों की होड़ नहीं चाहते, हम इसीलिए मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे सही फैसलों के प्रति सही समझ-बूझ और भी बढ़ेगी। भारत चाहता है कि विश्व में शांति हो, ऐसे विश्व की रचना हो जिसमें एटमी हथियारों के लिए कोई स्थान न हो। हम पहल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन परीक्षण करने के लिए जो बहुत से कारण थे, उनमें एक कारण यह भी था कि एटमी हथियारों के मामले में भी एक भेदभाव की नीति बरती जा रही है, वह नीति तर्कसंगत नहीं थी। बड़े-बड़े देशों के हाथ में एटमी हथियार बनाने के सारे अधिकार सीमित हो गए। हमारा प्रयत्न रहा यूनाइटेड नेशन्स में, जेनेवा के सम्मेलन में कि हम ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें एक समय सीमा के भीतर सभी एटमी हथियार नष्ट करने का फैसला कर लिया जाए। लेकिन एटमी हथियारों से लैस देशों ने इस बात को माना नहीं, अभी भी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन आज जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज में एक नई ताकत है। आज हमें उन देशों को अपनी गणना में लेना पड़ता है।

जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, अभी हमने लाहौर में जो समझौता किया है उसके अन्तर्गत हम ऐसे विश्वास पैदा करने वाले कदम उठाएँगे जिनसे कि एटमी हथियारों का भूल-चूक से प्रयोग न हो सके और इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा बरती जा सके। लेकिन मैं और देशों से कहना चाहता हूँ, एटमी हथियारों का पूर्ण निर्मूलन यह हमारा अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्य है और कोई नया नहीं है, यह इस देश का पुराना लक्ष्य है। इसके लिए हमारे नेता काम करते रहे हैं और इस दृष्टि से इस नीति पर दृढ़ रहकर हम चाहेंगे कि विश्व सही आणविक निशस्त्रीकरण की ओर सही दिशा में बढ़े।

सभापति महोदय, पिछले 9 महीनों में न केवल कूटनीतिक परिदृश्य बदला है, देश के भीतर भी परिवर्तन आए हैं। डा. मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है। सब इस बात से सहमत होंगे। राष्ट्रीय एकता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। अब वहाँ विकास के काम तेजी से करने की जरूरत है। लोगों की अपेक्षाएं और आशाएं हैं, वह पूरी होनी चाहिए। वहाँ पर्यटक जा रहे हैं। अमरनाथ

की यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कश्मीर की घाटी के लोग भी, अधिकाधिक लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें विकास के लिए शांति चाहिए और उसके साथ उन्हें आगे बढ़ने के और भी रास्ते मिलें, यह उनकी इच्छा है। उत्तर-पूर्व की स्थिति में भी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अभी भी वहाँ हिंसा है, हत्या है। सशस्त्र-गुट हैं जो सक्रिय हैं, उन्हें काबू में लाने की कोशिश हो रही है। जहाँ वार्ता से मामला सुलझ सकता है वहाँ वार्ता के द्वारा भी समस्या का समाधान निकले, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वहाँ हथियारों का उपयोग बन्द हो। भारत के संविधान के अन्तर्गत समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। संविधान से बाहर जाकर किस हल की तलाश करने का कोई मतलब नहीं है, न इसकी कोई गुंजाइश है। जो भी है वह भारत के संविधान के अंतर्गत होना चाहिए।

देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका देश के शांतिपूर्ण जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हम सर्वधर्म में विश्वास करते हैं। सैक्युलर का अर्थ यह नहीं है कि देश में धर्म नहीं होगा सैक्युलर का अर्थ यह भी नहीं है कि देश धार्मिक नहीं होगा या लोग धार्मिक नहीं होंगे। सैक्युलर का अर्थ है कि धर्म के आधार पर, सम्प्रदाय के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं होगा। यह भी उसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की अपनी कोई पूजा पद्धति नहीं होगी। राज्य सब पद्धतियों का सम्मान करेगा। लोग समझते थे, हमारे पूर्वज जिन्होंने संविधान बनाया, पूर्ववर्ती नेताओं ने यह अनुभव किया कि सर्वधर्म की समभाव की जो परिकल्पना है यह इतनी गहरी हुई है कि संविधान में सैक्युलरिज्म का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जब संविधान बना तो यह सुझाव आया था। डॉ॰ अम्बेडकर ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह देश तो सर्व धर्म संभाव वाला है। इस देश में सैक्युलरिज्म पहले से है, इसकी जड़ें गहरी हैं। लेकिन जब सैक्युलर का अनुवाद हुआ तो फिर वह धर्मनिरपेक्ष अनुवाद कर दिया गया। यहाँ से भ्रम पैदा हुआ। अगर अनुवाद पंथ-निरपेक्ष होता, सम्प्रदाय-निरपेक्ष होता तो कठिनाई नहीं होती। अब सर्वधर्म संभाव अधिकारों का अधिक प्रयोग में आ रहा है। हमारा सैक्युलरिज्म पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। हमारा सैक्युलरिज्म सबके साथ न्याय करता है, लेकिन साथ-साथ सहिष्णुता पर भी आधारित है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में एक घटना हुई, गुजरात में कुछ घटनाएं घटित हुईं और अभी उड़ीसा में बहुत ही दर्दनाक ढंग से एक विदेशी महानुभाव और उनके दो पुत्रों को जलाकर मार डाला। मामले की जांच हो रही है, तथ्य प्रकट होंगे। मध्य प्रदेश में भी अपराधी पकड़े गए। उनके विरुद्ध मामला दायर किया गया है। गुजरात में भी

गिरफ्तारियां हुई हैं। गुजरात में पश्चाताप के रूप में सबने मिलकर उन गिरजाघरों का पुनर्निर्माण करने में हाथ बंटया जिनको थोड़ी सी क्षति पहुंची थी, यह सही भावना है। इस भावना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन इन घटनाओं के कारण यह नतीजा निकलना, यह परिणाम निकालना कि सारे भारत में सब जगह अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, यह देश के साथ अन्याय करना होगा। यह परिस्थिति का सही वर्णन भी नहीं है। मीडिया ने एक रवैया अपनाया, सनसनीखेज स्वरूप देकर खबरें छापना। विदेशों में यह धारणा फैली और विदेशी मीडिया के संसाधनों ने भी इस धारणा को बढ़ावा दिया, मानों भारत सेकुलरवाद के रास्ते से अलग हो गया है और देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जीवन असुरक्षित है। ये सारे विवरण में नहीं जाना चाहता। हमारे सत्ता में आने से पहले केन्द्र में जो सरकारें थी, उनके वक्त में क्या हुआ, कितने लोग इस तरह की ज्यादतियों के शिकार हुए हैं, इससे तुलना करना कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है। लेकिन इस प्रश्न को, जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, अगर राजनीति का खेल बनाया जाएगा तो इससे देश को लाभ नहीं होगा, न सेकुलरवाद शक्तिशाली होगा। यह प्रयत्न होना चाहिए कि जो संगठन कड़वाहट पैदा कर रहे हैं, जो संगठन असहिष्णुता का प्रचार कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जाए। इन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैंने संवाद का सुझाव दिया था, वाद-विवाद का नहीं। वाद-विवाद में और संवाद में अंतर है। हम मिलकर बैठें और चर्चा करें, सवालें पर। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, यह अच्छी बात थी और देश में शांति है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बंद हो गई हैं और मुझे लगता है कि उनकी पुर्नवृत्ति नहीं होगी। लेकिन मीडिया से मैं अपील करना चाहूंगा कि वह ऐसे भ्रमलों में थोड़ा संयम दिखाइये। राजनीतिक दलों को भी तत्काल क्षणिक राजनीतिक लाभ उठाने के लोभ से भरने को वंचित रखना चाहिए। देश की एकता आज सर्वोपरि है।

**SHRI VAYALAR RAVI (Kerala):** Your own Gujarat Government is responsible for it. That Government was not acting. That is why we have reacted.

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:** You may remain there for some more time.

**SHRI VAYALAR RAVI:** We want you to come to this side as early as possible.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, मैं कह रहा था कि देश में सांप्रदायिक स्थिति में सुधार हुआ है, दंगे कम हुए हैं। बड़ा दंगा पिछले साल कोई नहीं हुआ जो दंगों

में मौतें होती हैं उनकी दृष्टि से पिछला साल सबसे ऊपर आता है। इस वातावरण को हमें बनाए रखना है। समाज विरोधी तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी है। राज्य सरकारें इस दायित्व को ठीक तरह से निभाएं, उसके निर्वहन के लिए जो भी केन्द्र से सहायता होगी, उस सहायता के लिए केन्द्र हमेशा तैयार है। अगर गुप्तचर सेवा को सक्षम बनाना है, अगर आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है, अगर प्रभावशाली ट्रेनिंग की जरूरत है और सब जगह राज्य सरकारों के साधन सीमित होने के कारण ये कठिनाइयां रास्ते में आती हैं, उन को दूर करने का केन्द्र प्रयास कर रहा है।

श्री. नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): आज तक कुछ नहीं हुआ त्रिपुरा में।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: गृह मंत्री ने इस संबंध में कदम बढ़ाया है। त्रिपुरा की स्थिति हमारे सामने थी। मुख्य मंत्री से हम लोग सम्पर्क में हैं। यह जरूरी है कि ... (व्यवधान)...

**SHRI JIBON ROY:** Despite repeated assurances, no army was sent and the commitment is not met by your Defence Ministry ... (Interruption).

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह कहना ठीक नहीं है। ... (व्यवधान)...

श्री जीवन राय: बहुत तकलीफ में हैं।

It is not a matter of politics.

कल हम नहीं रहेंगे, आप भी जा सकते हैं।

if you do not maintain a policy, the country does not survive then.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हम भी जा सकते हैं ... (व्यवधान)...

**SHRI JHUMUK LAL BHENDIA (Madhya Pradesh):** Will you intervene as Prime Minister? (Interruption)

**SHRI JIBON ROY:** You are playing politics with Tripura. (Interruptions).

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:** I am not yielding. (Interruptions).

**MR. CHAIRMAN:** He is not yielding. Nothing will go on record. (Interruptions).

The Prime Minister is not yielding. (Interruption) No, no. (Interruptions).

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में किसी तरह का मतभेद है, कहकर आप इसका लाभ नहीं उठा सकते। ... (व्यवधान)... योजना-बद्ध तरीके से यह भी प्रचार हो रहा है ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, प्लीज।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह प्रचार निराधार है। ... (व्यवधान)...

सभापति जी, मैं आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। बजट पेश हुआ है, आम बजट है। प्रतिपक्ष को निराश होना पड़ा है। आलोचना के जितने मुद्दे मिलने चाहिए थे, वह नहीं मिले। लेकिन, यह बजट देश की सुधरती हुई आर्थिक स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। कितने आर्थिक संकटों में से देश निकला है, सब परिचित हैं। डा० मनमोहन सिंह जी को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रणव बाबू जानते हैं। विश्व का आर्थिक संकट, दक्षिण एशिया के कई देशों का चरमराता हुआ ढाँचा, इसमें भारत को अपने स्थान पर खड़ा रहना ही मुश्किल था। मुझे अभी जयका सम्मेलन में जाने का मौका मिला। हम भले ही अपनी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन न करें मगर विदेशी करते हैं और हमें बधाई देते हैं कि आप संकट से बच गए क्योंकि आपने बड़ी नीतियाँ अपनाई थीं। ये नीतियाँ कोई साल भर में नहीं बनी हैं। यह पुरानी नीतियाँ हैं। उनका लाभ लिया है। परन्तु आपने इन पुरानी नीतियों को छोड़ दिया था। हम उनका अवलम्बन कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद ही रूप का मूल्य स्थिर रहा। अनाज का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। किसानों को बधाई है। अनाज रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ मैं एफ़्सीआई का मामला उठाना चाहता हूँ। किसान से अनाज की खरीद होती है। किसान को लाभप्रद मूल्य देकर अनाज खरीदा जाता है, लेकिन उसको रखने का प्रबंध नहीं है। फूड कारपोरेशन के भरोसे छोड़ दिया जाता है। उन्हें पता नहीं कि उनके गोदाम में कितना अनाज है ... (व्यवधान) यह जांच पड़ताल पहले होनी चाहिए थी। हम यह कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं यहाँ खड़ा करना चाहूँगा। सरकार ने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो वस्तुएँ वितरित की जाती हैं, उनके दामों में थोड़ी सी वृद्धि की हैं चावल, गेहूँ, शक्कर, रसोई गैस। उसको आलोचना हुई है। अगर आलोचना राजनीतिक दृष्टि से की गयी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम उसे हजम करने में समर्थ हैं। लेकिन अगर वह नीति से, आलोचना मतभेद रखती है तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि सब दल मिलकर बैठें और सब्सिडी के सवाल पर थोड़ा गहराई से विचार करें।

जब हम सत्ता में नहीं थे, हम प्रतिपक्ष में थे, तब भी वस्तुओं के दाम बढ़े थे। हम भी शायद उनके खिलाफ बोले होंगे। लेकिन यह एक सीमा में होना चाहिए और गंभीरता से इस बात पर विचार होना चाहिए। मैं आंकड़ों आपके सामने प्रस्तुत करके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ कि पुरानी सरकारों के जमाने में कितनी मूल्यों में वृद्धि की गयी थी। उस समय यह सवाल आया था। लेकिन कोई फैसला करना नहीं चाहता। हम भी इस दुविधा में थे कि बढ़ाएं कि न बढ़ाएं। फिर सोचा चुनाव को निकल जाने दो। यह दुविधा हर राजनीतिक दल के सामने आती है और इसलिए एक सर्वानुमति से समस्या का समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। अगर हम वसूली का दाम बढ़ाते हैं और उत्पादन का खर्चा बढ़ता है तो किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। तो क्या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरकार की ओर से अनाज दिया जाता है उसका मूल्य स्थिर रहेगा? क्या उसमें वृद्धि होगी? अगर वृद्धि होगी तो लोकप्रियता को ठेस लग सकती है। लेकिन समाज अब प्रबुद्ध है। अगर कमी है तो राजनीतिक दलों के निश्चय में कमी है और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया जाए।

उस दिन किसी कालेज में भाषण करते हुए मैंने कहा था। हमारे मिश्रा जी ... (व्यवधान) ... मैंने कहा था कि ऊँची शिक्षा में भी सरकार बड़ी सहायता दे रही है ... (व्यवधान)

SHRI JIBON ROY: Mr. Prime Minister, will you yield for a minute? ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ... (Interruptions) ... He is not yielding. ... (Interruptions) ... Nothing will go on record. ... (Interruptions)...

SHRI JIBON ROY: \*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, मैंने यह प्रश्न उठाया था कि सरकारी विद्यालयों में, कालेजों में, विश्वविद्यालयों में फ़ीस किस हिसाब से तय की जाती है। फ़ीस बहुत कम है। इससे कल या कोई नतीजा न निकाले कि हम फ़ीस बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। एक ओर तो प्राथमरी शिक्षा के विस्तार के लिए जो आवश्यक है, मूल अधिकार में शामिल है, हमारे पास धन नहीं है, विद्यालय नहीं हैं, विद्यालयों में टीचर नहीं हैं, एक-एक टीचर के विद्यालय हैं जो उपस्थिति रहते हैं या नहीं रहते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है और निरक्षरता मिटाने के जितने भी हम लक्ष्य तय करते हैं वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। इस बात का विचार होना चाहिए कि क्या हम ऊँची शिक्षा भी

सरकारी सहायता से चलाने। कम से कम जो दे सकते हैं, जिनमें देने की क्षमता है वे तो दें। यह शिक्षा में ही नहीं, ज्विकित्सा के क्षेत्र में भी लागू होता है। आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाइये, वहां अगर आप यह फर्म भर कर दे दें कि आमदनी दो सौ रुपया है, कम से कम जब मैं जाता था तब इसी तरह के फर्म थे, अगर परिवर्तन हो गया तो मैं नहीं जानता और फिर इलाज के लिए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाद में शायद कुछ शुल्क लगाए गए हैं, मगर नाममात्र के हैं। प्राइवेट कालेज ऊंची फीस लें, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार कैसे करे? क्या हायर एजुकेशन भी सब्सिडाइज्ड होनी चाहिए? क्या जिनमें देने की क्षमता है वे भी इसका लाभ उठाएं तो साधन कहां से आयेंगे? फिर प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प कैसे पूरा होगा? साधनों की कमी है यह सारा सदन जानता है, सारा देश परिचित है। लेकिन सब्सिडी एक ऐसा नाजुक मामला है जिसको कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, मानो बर् का छत्ता है, अगर हाथ लगाया तो बचेंगे नहीं। इस स्थिति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सब मिल कर विचार करें और साहस से फैसला करें। कितना कर्जा है, कितना ब्याज दिया जा रहा है? किस तरह से जो सार्वजनिक उद्योग हैं वे बंद हुए, किस तरह से बीमार हुए? सार्वजनिक उद्योगों की यह दशा कैसे हुई? हम उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति समझ कर विकसित करना चाहते हैं। लेकिन जिम्मेदारी संभालने के बाद हमें लगा कि सार्वजनिक उद्योग प्रबन्ध की कमी के कारण लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अगर प्रबन्ध की कमी मुख्य कारण है, एकमेव कारण है तो उसके लिए भी हम सरकार के नाते जिम्मेदार हैं। बड़ी संख्या में मजदूर ऐसे हैं जिनके कारखाने बंद हैं। मगर जो वेतन पा रहे हैं वेतन उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक उन्हें रिययरमेंट की एक स्कीम के अंतर्गत कार्य से मुक्त नहीं किया जाता, दायित्व से मुक्त नहीं किया जाता, तो फिर उनके वेतन की सरकार को चिन्ता करनी पड़ेगी। मगर कितना बोझा है? कहां से धन आएगा? इन प्रश्नों पर उन्मुक्त चर्चा की आवश्यकता है। एक आम सहमति बनाना बहुत जरूरी है। सरकारें अपने दायित्व को समझे, यह अवश्य है। लेकिन लोगों को शिक्षित करने का काम जब तक राजनेता नहीं करेंगे, तो किसी की पूछ नहीं है। लेकिन अगर हम भी हमेशा राजनीति का खेल खेलते रहेंगे तो ठीक है, सत्ता की दृष्टि से वह खेल लाभदायक हो सकता है, लेकिन उससे राष्ट्र का भला नहीं होगा।

पार्लियामेंट में मुझे 40 साल हो गए। प्रतिपक्ष में था, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। संकट के समय सारे मतभेद भूल कर हर सरकार के साथ खड़ा होता था। इसीलिए जनेवा के मानवाधिकार सम्मेलन में नेता बना

कर मुझे भेजा गया था और उसका परिणाम यह हुआ जब दुनिया ने देखा कि काश्मीर के सवाल पर सारा भारत एक है और प्रतिपक्ष का नेता इन के डेलिगेशन का नेता है। वह समझ गए कि काश्मीर का मामला ऐसा है, जिस पर हिन्दुस्तान समझौता नहीं करेगा। वहां जाने का असर हुआ, बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उपस्थिति मात्र ने, एकता के प्रदर्शन ने ही काम कर दिया। लेकिन जब हम बंटी हुई आवाज में बोलते हैं और प्रामाणिक मतभेद हो सकते हैं, आर्थिक प्रश्नों पर मतभेद हो सकते हैं। राजनीतिक प्रश्नों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं और मैं समझता हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में आज यह बुनियादी सवाल बनता जा रहा है कि किस तरह से हम सीमित साधनों में अधिकतम प्रगति करें और प्रगति के फल सब लोगों तक पहुंचे और उन लोगों तक ज्यादा पहुंचे तो अभी तक फलों से वंचित रहे हैं। योजनाएं बनी हैं, मैं जानता हूँ। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की दशा देखता रहता हूँ। योजनाएं कागज पर ज्यादा हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई काम नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन जिस गति से होना चाहिए और जिस लगन से होना चाहिए, जिस ईमानदारी से होना चाहिए, उसके प्रति उत्तरदायित्व का भाव नहीं है। यह भाव पैदा करना पड़ेगा। इस में सब का योगदान जरूरी है। सभापति महोदय, मैंने कहा कि बजट आएगा, उस समय आर्थिक प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

हम ने नेशनल सेक्युरिटी काउंसिल का गठन किया है जो देश के भीतर और बाहर के संकटों का मूल्यांकन करती है, क्या कदम उठाना चाहिए, इस तरह के सुझाव देती है। यह भी जरूरी है कि हम जन-प्रतिनिधि संस्थाओं को और ठीक तरह से चलाने का प्रयास करें। पिछड़े हुए वर्गों जन-जातियों को अधिकार दिए गए हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार भी है, लेकिन अभी सच्चे अर्थों में भागीदारी नहीं हुई है। आवश्यकता भागीदारी की है।

महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक पेश हो गया है। बड़ी छीना-झपटी में पेश हुआ। अब महिलाओं के प्रतिनिधि-मंडल आ रहे हैं कि बिल पेश हो गया, आप उस को पारित कराइए। हम तो चाहते हैं कि वह पारित हो, लेकिन छीना-झपटी नहीं होनी चाहिए। उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस में भी सहयोग की आवश्यकता है। जो सहमत नहीं हैं उन्हें मनाने की जरूरत है, जो निश्चय है उस को कार्यान्वित करने के लिए संकल्प की जरूरत है। और कोई विधेयक हो, हमें तो राज्य सभा में प्रतिपक्ष की मदद की आवश्यकता है। अब मैंने सुना है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर भी मतभेद प्रकट करने का अवसर ढूँढा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।... (व्यवधान)... हम मानते हैं कि

लोकतंत्र गणित का खेल है। सिर गिने जाते हैं। सिर के भीतर क्या है, यह कभी नहीं देखा जाता। लेकिन संख्या बल भी एक बल है, फैसले करने का एक तरीका है और भुज बल से अच्छा बल है संख्या बल, संख्या किधर है, देख लीजिए। अब वह संख्या कौन सी तस्वीर पेश करती है, यह एक अलग सवाल है। लेकिन, मैं चाहूंगा कि बुनियादी सवालों पर आम सहमति के वातावरण को बनाए रखा जाए।

बिहार का अध्याय समाप्त हो गया। अब मैंने सुना है कि भागवत पुराण पढ़ने की तैयारी हो रही है। ... (व्यवधान) ... मैं आशा करता हूँ कि इस पर थोड़ा समझ-बूझ कर कदम उठाया जाए। हम किसी भी कांड से संबंधित सारे तथ्य प्रीसाइडिंग ऑफिसर के सामने रखने को तैयार हैं राज्य सभा में भी, लोक सभा में भी। मैंने डा. मनमोहन सिंह जी से कहा था कि आप देख लें, सारे कागज देख लें। बहुत सी बातें सदन में नहीं कही जा सकती, बहुत सी बातें प्रकट नहीं की जा सकती। ... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : पेपरबाजी क्यों हो रही है फिर? पेपरबाजी नहीं होनी चाहिए। ... (व्यवधान) ...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): You can agree for a J.P.C. ... (Interruptions) ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे विश्वास है कि मेरे इस प्रस्ताव को उसी रीति में लिया जाएगा, जिस दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव को पेश कर रहा हूँ।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देने का जो यह प्रस्ताव है, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। धन्यवाद।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Chairman, Sir, on the burning of Staiens, the Wadhwa Commission has not yet been appointed. There is no office and there is no terms of reference. Sir, this is part of the speech. It is mentioned in the President's Address and there is no reply from the Government. The Wadhwa Commission of Inquiry into the murder of Staiens in Orissa has not been given office accommodation in Vigyan Bhavan. The Commission is not functioning. There is no Terms of reference. Let the Home Minister respond. ... (Interruptions) ... You are ruling the country. ... (Interruptions) ...

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): The crime was committed there. ... (Interruptions) ...

SHRI SANATAN BISI (Orissa): We have to move some amendments. As per the practice, procedure and convention we are entitled to move these amendments. ... (Interruptions) ...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, some important issues were raised during the course of the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. The Prime Minister has not replied to those issues. The Leader of the Opposition, in his speech, raised certain issues, including the issues which have been raised by the former Adviser to the Finance Minister, Shri Mohan Guruswamy, and the issue relating to Shri Vishnu Bhagwat. I think the Prime Minister has not replied to these issues. I do not know why he ignored them.

श्री गुलाम नबी आजाद (जम्मू और कश्मीर) : माननीय सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर का उल्लेख किया। मुझे बहुत खुशी है कि दिसंबर के महीने में मैंने इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, जब उन्होंने चर्चा की थी कि यू.एन.ओ. में हमारे प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ की बात होगी, तो मैंने उस वक्त निवेदन किया था कि कश्मीर का मसला इतना आसान नहीं है कि यू.एन.ओ. में हमारे दो प्रधानमंत्री चाय पिएंगे और कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, कश्मीर का मसला हल करने की शुरूआत तब होगी, तब आप वन टू वन बैठेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त जवाब दिया था कि वह वक्त भी आएगा और वह वक्त इन दो-तीन महीने में ही आया। इसके लिए मैं बधाई देना हूँ लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में फरमाया कि कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरी शांति नहीं है और पूरी शांति की अपेक्षा भी अभी नहीं की जा सकती। आपने कहा कि अभी डवलपमेंट की जरूरत है। मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, उन्होंने देखा होगा कि पिछले तीन-चार दिनों से, जबसे कश्मीर का बजट स्टेट गवर्नमेंट ने जम्मू में शुरू किया, जिस बजट से इतने टेक्स लगा रहे हैं कि पूरी कश्मीर वादी और जम्मू घाटी में बंद चल रहा है 7.00 P.M.

और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है और वाकई मैं कह सकता हूँ कि उस स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, जहाँ दस साल से आतंकवाद चल रहा है और जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, खाने के लिए, वे लोग

टैक्स कहाँ से दे सकते हैं। ऐसी हालत में स्टेट गवर्नमेंट सिक्क्यूरिटी रिलेटेड खर्चों को बर्दाश्त करे, स्टेट गवर्नमेंट बजटों को रोजगार दे, स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट का काम करे, यह नामुमकिन है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह खाली फ़ाइनेंस मिनिस्टर के बस का काम नहीं है और खाली हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से यह मसला हल नहीं होगा, जब तक कश्मीर में लड़कों को हम रोजगार न दें और डेवलपमेंटल काम शुरू न करें और उसके लिए जब तक आप यहाँ से पैसा नहीं देंगे तो ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं होगी।

MR. CHAIRMAN: Mr. Angou Singh, what clarification do you want to seek?

SHRI W. ANGOU SINGH (Manipur): Thank you, Mr. Chairman.

I quote from para 21 at page 6 of the President's Address :

"The Government accords high priority to the rapid development of infrastructure, which is the key to accelerated growth in all sectors of the economy."

In this connection, the Planing Commission has finalised a blueprint for construction of a six-lane national integration highway project with a East-West corridor linking silchar with Saurashtra and a North-south corridor linking Kashmir with Kanyakumari.

In this respect, the people of the North-East where roadways are their livelihood, will appreciate this project more than what other people of the country will do as major areas of this region are covered by railways at present. Among the States of the North-East, Manipur which has transport bottlenecks, will be more happy if it is extended to Imphal. In this connection. I have submitted a proposal to the Prime Minister and the Surface Transport Minister to extend it to cover the whole area of the North-East so that the people of this region, especially Manipur, may not take that the area would be covered by the proposed super highway. The present proposal covers only up to Silchar in Assam, leaving most of the north-eastern region where, the negligence by the Central Government for long years has created a separatist movement in those States.

I again request the Prime Minister to make a clarification on this and to extend it to cover the whole of the North-East.

There is a proposal of the Myanmar Government to link South Asia with South-East Asia by connecting Imphal in India with Tamu in Myanmar...

MR. CHAIRMAN: It will be a new discussion.

SHRI W. ANGOU SINGH: ... so that the present situation in this region can be improved with revival of close relationship with out neighbouring countries. ....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That is all right.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (बिहार): सर मैं, आधे मिनट में अपनी बात कह दूंगा, मुझे आधा मिनट दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Please, please sit down.

What clarification do you want to seek?

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: सर, वजीर आजम ने बहुत ही इत्मीनान बखा जवाबी तकरीर करके मुल्क की जिन समस्याओं पर हम तमाम लोगों को चिंता करने की अपील की है, यकीनन् राजनीति से ऊपर उठकर उन समस्याओं पर एक होकर सोचना चाहिए। आपने यह फरमाया है कि हर चीज़ को बहुत ही सर्वसम्मत के साथ, समझ-बूझ से अगर पास कर दिया जाए तो बेहतर होगा। "भागवत" पुराण की और सारी बातें आई। एक बात उसमें यह आई है कि औरतों के, महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल आया है और महिलाओं का हमारे पास प्रतिनिधिमंडल आता जा रहा है कि साहब, इसको आप पारित करवाइए। तो वह पारित करवाएंगे, बेशक पारित होना भी चाहिए। लोकतांत्रिक मोर्चा ने महिलाओं की स्थिति को देखते हुए यह गुज़ारिश की है कि मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा कमज़ोर हैं, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को भी उनकी आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन देना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त करूंगा।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: سر -  
وزیر اعظم نے بہت ہی اطمینان بخش جوابی  
تقریر کر کے ملک کی جن سمسیاؤں پر ہم  
تمام لوگوں کو چنتا کرنے کی اپیل کی ہے یہ یقیناً  
راج نیستی سے اوپر اٹھ کر ان سمسیاؤں پر ایک

ہو کر سوچنا چاہیے۔ اپنے یہ فرمایا ہے کہ  
ہر چیز کو بہت ہی سروسسٹی کے ساتھ سمجھ  
بوجھ سے کر پاس کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔  
”بھاگوت“ پوران کی اور ساری باتیں  
آئیں۔ ایک بات اسمیں یہ کہیں کہ عورتوں  
کے مہیلاؤں کے زرویشن کا بل لایا ہے  
اور مہیلاؤں کا ہمارے پاس برقی ٹوٹی  
منڈل آتا جا رہا ہے کہ صاحب اسکو آپ  
پارٹ کر دیکھتے تو وہ پارٹ کر دیتے گے  
بے شک پارٹ ہونا بھی چاہیے۔ وہ  
تائترک موڈ چہنے مہیلاؤں کی استحقاق  
کو دیکھتے ہوئے یہ گزراش کی ہے مسلم  
مہیلاؤں سب سے زیادہ کمزور ہیں  
اسلئے مسلم مہیلاؤں کو بھی آبادی کے  
تناسب سے زرویشن دینا چاہیے۔  
میں اس پر ائم مسٹر صاحب سے یہ درخواست  
کرتا ہوں۔

MR. CHAIRMAN: Please seek your clarifications in just one sentence. (Interruptions) Please sit down. Unless I call you nothing will go on record. It is five minutes past one of the clock. We extend the House for ten minutes so that the hon. Members can seek clarifications.

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक (जम्मू और कश्मीर): सर, मैंने कल वाले भाषण में इस सिलसिले में चंद बातों की तरफ तवज्जह दिलाई थी। शायद मोहतरम वजीरे आजूम के पास उनका नोट पहुंचा नहीं या कहीं कुछ हुआ है। अभी जैसे कि मेरे दोस्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कश्मीर के बारे में तवज्जह दिलाई है, हर दल के लोग कश्मीर के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत फख से उसे भारत का अटूट अंग कहते हैं मैं वजीरे आजूम साहब से पूछूंगा, भगवान इनकी जिंदगी बढ़ा दे, ये एक उम्मीद की

किरन है। ऐसे चंद लोग अभी मुल्क में हैं जिनको पता है कि रिश्ते कैसे हुए थे। कश्मीर कोई खोज की वजह से नहीं मिला था, किसी आदर्श की वजह से हिंदुस्तान से मिला था लेकिन आज हमारे साथ सीतेली मां का सुलूक हो रहा है। हमारे मुलाजिमों को तनखाह नहीं मिल रही है, हमारे लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पापुलर गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लग रहे हैं। हमें सिक्योरिटी से संबंधित फंडज दिए नहीं जा रहे हैं। हमारे शाहरा बंद पड़े हुए हैं। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक शाहरा बनाने की बात कही गई है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लेकिन हमारे अपने शाहरा खस्ता हालात में हैं। हमारे रेलवे प्रोजेक्ट की किस्तों में पैसे मिलते हैं। उसको अभी तक नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया है, जो हमको वायदा दिया गया था। मुझे लगता है कि केवल अमन की बात करने से अमन नहीं होगा। अमन यकीनन होगा, आप दिल खोलकर पैसा खर्च कर दीजिए। रोजगार दीजिए और लोगों की मुश्किलों को आसान कर दीजिए।

الاستاذ شريف الدين شادوق جومكوشير:

سر، میں نے کل وائے بھاشن میں اس سلسلے میں چند باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ شاید محترم وزیر اعظم کے پاس صحیح طرح انکوائٹ پہنچا نہیں یا کہیں کچھ ہوا ہے۔ ابھی جیسے کہ مرید دوست غلامی آزاد صاحب نے گفتیر کے بارے میں توجہ دلائی ہے، ہر دال کے لوگ کشمیر کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بہت فخر سے اسے بھارت کا اٹوٹ انگ کہتے ہیں۔ میں وزیر اعظم سے بوجھو لگا، بھگوان انہی زندگی پڑھاوے، یہ ایک امید کی کرن ہے۔ ایسے چند لوگ ابھی ملک میں جتنی پتے ہے کہ رشتے کیسے ہوئے تھے۔ کشمیر کوئی کھوج کی وجہ سے

ہیں ملا تھا کسی آدرش کی وجہ سے  
 ہندوستان سے ملا تھا لیکن آج بھروسے  
 ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے  
 ہمارے ملازموں کو تنخواہ نہیں مل رہی  
 ہے ہمارے لوگ سرخسوں پر آ رہے ہیں۔  
 پابوٹر گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگ  
 رہے ہیں۔ ہمیں سسکیوڑی سے سمجھوتہ  
 فائدہ دئے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے  
 شاہراہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ کتبائٹاری  
 سے لیکر ہمارے اپنے شاہراہ خستہ حالت  
 میں ہیں۔ ہمارے ریلوے پراجیکٹ کھو  
 قسطوں میں پیسے ملتے ہیں۔ اسکو امی  
 تک نیشنل پراجیکٹ نہیں بنایا گیا ہے، جو  
 ہم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ بجھے لگتا ہے کہ صرف  
 امن کی بات کرنے سے امن نہیں ہو گا۔  
 امن یقیناً ہو گا، آپ دل کھول کر پیسے  
 خرچ کر دیجئے۔ روزگار دیجئے اور لوگوں  
 کی مشکلوں کو آسان کر دیجئے۔]

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Sir, the hon. Prime Minister has spoken at length emphasising the need for coming to a general consensus on the question of subsidy. I would like to know whether instead of discussing the subsidy issue in a slated manner, the Prime Minister would be prepared to discuss the question of taxation policy, the question of expenditure and subsidy and all the items where the subsidy has to be given, where taxes are to be reduced and so on. Will he be prepared to discuss all these issues in a comprehensive way?

SHRI S. R. BOMMAI (Karnataka): Sir, the Prime Minister has appealed for arriving at a

consensus on the most important issues economic, political, law and order — affecting the nation. Sir, in my opinion such a consensus is necessary. If we cannot have a national Government, at least let us have a national consensus on economic issues, on electoral reforms, on Lok Pal Bill, on corruption and so on. There are certain issues which are vital for a healthy nation to survive. So, I would like to know whether the Prime Minister is taking steps to immediately call leaders of all political parties on each agenda before the closure of this Parliament session so that at the first stage or at the second stage of the session we can devote time to these issues and come to a certain consensus.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the Prime Minister has shown his anxiety about subsidies. I would like to know whether he is aware that thousands of crores worth of subsidy has been drawn in excess by three or four private fertilizer and urea manufacturing companies. Your Ministry has been having discussions with them for the last three months but till now no decision has been taken. I would like to know whether you will be able to touch those people who have drawn thousands of crores of rupees worth of subsidy by gold-plating of urea name plate capacities?

मुझे शक है कि आप छू नहीं पाएंगे उनको। इतनी हिम्मत इस सरकार में नहीं है। उतनी हिम्मत नहीं है ... (व्यवधान) गर्व से कहें अगर हिम्मत है। ... (व्यवधान)

SHRI N.K.P. SALVE (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir, it is a very delicate matter. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of the Member whom I have identified.

SHRI N.K.P. SALVE: My question relates to the insecurity among the minorities. Today, the Prime Minister has very profoundly defined what the concept of secularism is, in our Constitution. Every student of constitutional law will agree with what he has to say about the definition. But, Sir, there are forces, there are organisations which I don't want to name—I don't want to create any controversy—which have been shouting, of late, not only with a very aggressive attitude, but with an attitude

of violence, wanting, overtly and covertly, to support the violence against the minorities. Not a word of condemnation has been said by the Prime Minister. I implore upon him ...*(Interruptions)*... He has described them as unfortunate events. He said that the fear and a sense of insecurity among the minorities is a coming because of the incitement by political parties and sensationalism by newspapers. But that is not a correct evaluation. He has added, "The real thing has come because of the overt and covert support." The violence against minorities on various grounds needs to be condemned in unequivocal terms.

श्री नरेश यादव (बिहार): सर, मैं भी एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। ....*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: What is your clarification?

...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Mr. Chairman, Sir, the time extended by you is also over. Now it is ten past one of the clock. I think you have to extend the time of the House again.

MR. CHAIRMAN: Shall we extend the time of the House for another 10 minutes?

SOME HON. MEMBERS: No. Extend it by one hour.

...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No. Not one hour. This can't be another debate. ...*(Interruptions)*... This can't be another debate. ...*(Interruptions)*... This can't be another debate.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, are supplementary speeches being made? Then, we should also be allowed to speak.

श्री नरेश यादव: सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय दिया जाए ....*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Yes, Yes, it can't be for one hour.

श्री नरेश यादव: सभापति महोदय, मैं संक्षेप में कहूँगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि बिहार का अध्याय समाप्त हो गया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आठ तारीख को अध्याय समाप्त हुआ और वहाँ कल लोकप्रिय सरकार रेस्टर भी हो गई। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना

चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने कहा कि बिहार विधान सभा को निलम्बित रखा गया है। यह सरकार की ओर से प्रस्ताव आए तथा यह संशोधन भी दिया है कि वहाँ लोकप्रिय सरकार स्थापित हो गई है। आखिर इसको दुबहूँ कैसे पारित किया जाएगा? यह मामला है।

श्री सभापति: यह सवाल उनके लिए नहीं है। हम वह कर रहे हैं जो राष्ट्रपति ने उस वक्त एंड्रेस दिया था। उसमें कोई संशोधन नहीं है। ....*(व्यवधान)* नहीं-नहीं, कोई बात नहीं है। ....*(व्यवधान)* नहीं हो सकता, यह उस तारीख के बाद का है।

श्री नरेश यादव: महामहिम राष्ट्रपति ने ही आदेश दिया है। ....*(व्यवधान)*

श्री सभापति: प्लीज हो गया, बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)* हम उस तारीख का कर रहे हैं।

मौलाना अबुदुल्ला खान आजमी: आज हम उनको सम्मान करेंगे ....*(व्यवधान)*

مولانا عبد اللہ خاں اعظمی: آج ہم ان کو سمان کریں گے۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔

श्री सभापति: नहीं-नहीं, हम उस तारीख के एंड्रेस पर कर रहे हैं यह आज का नहीं है। चलिए। ....*(व्यवधान)*

SHRI SANATAN BISI: What is the situation prevailing today?

श्री नरेश यादव: राष्ट्रपति का सम्मान कर रहे हैं हम। ....*(व्यवधान)*

श्री सभापति: नहीं-नहीं, हां, बताइए क्या है।

श्री नरेश यादव: राष्ट्रपति का सम्मान है यह। ....*(व्यवधान)* इस हाउस के बारे में क्या मैसेज जाएगा? ....*(व्यवधान)*

श्री सभापति: हां, ठीक है। बैठिए।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Chairman, Sir, the policy of the Government is contained in the President's Address. The Address says that the President's rule was imposed in Bihar because of several things. Now, it has been withdrawn by the Government. The whole House feels that there should be an amendment to the Motion of Thanks in respect to the Bihar issue.

...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: How can you amend it?  
..(Interruptions)...

AN. HON. MEMBER: Either it should be amended or, it should be withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Honourable Members  
..(Interruptions)... Honourable Members  
..(Interruptions)... Honourable Members,  
please sit down. ..(Interruptions)... Please sit  
down. I have given the ruling that this Address  
was delivered on that date. This Address cannot  
be changed. Now, we have to adopt the Motion  
of Thanks to the President's Address, not on  
the basis of today's situation.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: सर, राष्ट्रपति के  
सम्मान का क्या होगा?....(व्यवधान)

امولانا عبید اللہ خاں اعظمی نے سر  
راشر جنرل کے سامان کا کیا ہو گا.....  
”مداخلت“...

MR. CHAIRMAN: I have given my ruling.  
..(Interruptions)... I have given my ruling.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA  
(Uttar Pradesh): Sir, the most important issue  
which affects every other issue, the issue of  
population control, finds no mention in the  
President's Address or in the reply of the Prime  
Minister.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Now,  
hon. Prime Minister. (Interruptions). No.  
Nothing. It is already over. Nothing will go on  
record.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA:\*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on  
record. We cannot have another debate.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA:\*

MR. CHAIRMAN: Nothing Will go on  
record. Why are you speaking?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, अनेक प्रश्न  
पूछे गए हैं। मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जहाँ  
तक वधवा कमीशन का सवाल है, कमीशन ने अपना  
काम शुरू कर दिया है। आज कमीशन उड़ीसा में है और  
जिस जगह भयंकर कांड हुआ था, उसका दौरा करने जा

रहा है। कमीशन के लिए पांच कमरे दे दिए गए हैं जिसमें  
वह अपना कार्यालय चलाए। उड़ीसा में भी उन्हें स्थान की  
कोई कमी नहीं होगी। कमीशन के सेक्रेटरी के बारे में भी  
नोटिफिकेशन कर दिया गया है और साइट पर आने-जाने  
का पूरा प्रबंध है। कमीशन अपना काम ठीक तरह से  
करेगा। जहाँ तक कश्मीर के बजट में टैक्सों के बढ़ाने का  
सवाल है, जम्मू-कश्मीर सरकार की कठिनाइयाँ हैं। केन्द्र  
उन्हें मदद देता रहा है, आगे भी मदद देगा।  
....(व्यवधान)....

श्री गुलाम नबी आज़ाद: नाकाफी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन जम्मू-कश्मीर  
को भी थोड़े से साधन अपने खड़े करने चाहिए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: वहाँ कुछ है ही नहीं दस  
साल से।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं, अगर कुछ ने होता  
तो राज्य सरकार इस तरह के टैक्स न लगाती।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: इसलिए तो शोर मचा है।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Mr.  
Chitharanjan wants the entire taxation policy  
to be discussed. That was not the purpose of  
my suggestion about subsidy. बोम्बई साहब ने कहा  
कि सबकी राय होनी चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया कि  
मैं एक बैठक बुलाऊँ। मैं सब नेताओं की बैठक बुलाने के  
लिए तैयार हूँ और हम उसमें बुनियादी सवाल पर चर्चा  
कर सकते हैं। मुखर्जी साहब ने मुझे चुनौती दी है कि  
मुझमें हिम्मत है या नहीं हिम्मत है अब मैं हिम्मत का  
प्रकटीकरण कैसे करूँ? I have received your letter  
and I have asked for the details. (Interruptions).

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Give an  
assurance.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: साल्वे साहब ने  
माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वॉयलेंस का सवाल खड़ा किया  
और कहा कि कुछ संगठन हैं। मैंने भी बिना नाम लिए,  
कई संगठनों को इशारा किया था कि असहिष्णुता का  
प्रचार न करें। हिंसा का तो प्रचार करने का सवाल ही पैदा  
नहीं होता। किसी को हिंसा का प्रचार करने को इजाज़त  
नहीं दी जाएगी। मतभेद हैं, अगर प्रामाणिक मतभेद हैं तो  
उन्हें प्रकट करने का सभ्य और शालीन तरीका होना चाहिए  
लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि माइनॉरिटीज़ में  
कोई डर की भावना है। ....(व्यवधान).....

श्री एन० के० पी० साल्वे: आप माइनॉरिटीज़ के नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अब मैं जो हूँ, वह हूँ। लेकिन अगर .... (व्यवधान) .... अगर मैं .... (व्यवधान) ....

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: सर, यह अखबार में आया है .... (व्यवधान) ....

﴿مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: سر یہ اخبار میں آیا ہے کہ... ”مداخلت“...﴾

श्री सभापति: नहीं, आप कहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अगर असुरक्षा की भावना है तो हम सब लोगों के लिए बड़ी चिन्ता की बात है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए .... (व्यवधान) ....

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: सर, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा था कि आप बात सुनते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, यह छपा हुआ है कि महावीर जयन्ती और बकर-ईद एक दिन आ रही है और मैं साफ नाम लेना चाहता हूँ-बजरंग दल की तरफ से यह ऐलान आया है कि हम बकर-ईद पर कुर्बानी नहीं होने देंगे। क्या यह हमारे अधिकारों पर हमला नहीं है .... (व्यवधान) .... मैं अपनी तबज्जो दिलाने के लिए यह कह रहा हूँ। .... (व्यवधान) .... इसका मतलब यह हुआ कि रोजा हमारा एक महीने का है तो हम पूरे हिन्दुस्तान से कहें कि रोजा रखो, यह कोई बात हुई? .... (व्यवधान) .... सर, हम आपकी तबज्जो दिला रहे हैं।

﴿مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: سر- میں اس لئے عرض کر رہا تھا کہ آپ بات سنتے ہیں۔ اسی لئے کہہ رہا ہوں۔ یہ چھپا ہوا ہے کہ مہاجرین جیتے اور غیر اعمید ایک دن آ رہے ہیں اور میں صاف نام لینا چاہتا ہوں۔ بکر عید کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ ہم غیر اعمید بکر قربانی نہیں ہونے دیتے کیا یہ ہمارے ادھیماڑوں پر حملہ نہیں ہے... ”مداخلت“... میں آپ کی توجہ دلائے کے لئے یہ کہہ رہا ہوں... ”مداخلت“...﴾

† [Transliteration in Arabic Script

اسکا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہمارا ایک مہینہ کا ہے تو ہم بوسہ ہندوستان سے کہیں کہ روزہ رکھو۔ یہ کوئی بات ہوئی... ”مداخلت“... سر- ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں۔

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): प्रधान मंत्री जी इसमें आपकी तरफ से बयान आना चाहिए कि कम से कम यह बात कण्ठम हो जाए .... (व्यवधान) ....

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: ये सब बातें चिन्ता का सबब हैं। .... (व्यवधान) .... यह भय की बात है।

﴿مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: یہ سب باتیں فکر کا باعث ہیں... ”مداخلت“... یہ خوف کی بات ہے۔﴾

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, हो गया।

एक माननीय सदस्य: यह क्या बात कह रहे हैं? .... (व्यवधान) ....

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्यों दर्द हो रहा है। वह हमारे भी वजहों से आजम हैं आपके ही नहीं हैं।

﴿مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: ہم ان سے ریکوہسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں آپ کے ہی نہیں۔﴾

श्री मोहम्मद आजम खान: मेरा सुझाव तो यह है कि पहले गोश्त खाने वाले गोश्त खाना छोड़ें उसके बाद कुर्बानी की बात करें। मैं हिन्दू भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा .... (व्यवधान) ....

﴿اشرفی محمد اعظم خاں: میرا سچا و تو یہ ہے کہ پہلے گوشت کھانے والے گوشت کھانا چھوڑیں اس کے بعد قربانی کی بات کریں۔﴾

میں ہندو بھائیوں سے ریلوے سٹ کٹروں کا۔  
 ... "مداخلت" ...

एक माननीय सदस्य: यह क्या बात कह रहे हैं? ....  
 (व्यवधान)....

श्री सभापति: हो गया। Nothing will go on record.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: हम अपने वजीरे-आजम से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ... (व्यवधान) ... हमारे लिए यह तकलीफ की बात है।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ہم  
 اپنے وزیر اعظم سے نہیں کہیں گے کون سے  
 کہیں گے ... "مداخلت" ... ہمارے  
 لئے یہ تکلیف کی بات ہے۔

श्री सभापति: ठीक है। आप बैठिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हमारे लिए भी तकलीफ की बात है। ....

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: हम जानते हैं कि आपके दिल में एक इन्सान का दर्द है। हम आपको मुबारकवाद देते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ہم  
 جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک انسان  
 کا درد ہے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔  
 ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔

[ J Transliteration in Arabic Script

SHRI ATAL BIHAR VAJPAYEE: Sir, so far as the question of linking the express highway with other areas in the North-East is concerned, that is not a practical proposition. Infrastructure has to be built in the North-Eastern region separately. This road cannot be taken from Silcher to other areas.

पापुलेशन कंट्रोल का सवाल आपने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमने अपने नेशनल एजेंडा में कहा है। अब उस पर एक राय बने इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। पापुलेशन का सवाल, पार्टी का सवाल नहीं है और यह जरूरी है कि जो नीति बने उसका अधिक से अधिक समर्थन हो। लेकिन हम पापुलेशन की पालिसी बनाने के वायदे से बंधे हुए हैं और हम उस पर अमल करेंगे।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि सारे सवाल हो गए।

श्री सभापति: ठीक है।

Amendment Nos. 1 to 26 by Shri Kapil Sibal. Mr. Sibal, are you pressing the amendments?

SHRI KAPIL SIBAL, (Bihar): No, Sir.

The amendments (Nos. 1 to 26) were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Amendment Nos. 30 to 38 by Shri Rama Shankar Kaushik. He is not present.

The amendments (Nos. 30 to 38) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendment Nos. 71 to 74 by Shri C.P. Thirunavukkarasu. He is not present.

The amendments (Nos. 71 to 74) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendment Nos. 75 to 89 by Shri Dipankar Mukherjee.

Mr. Mukherjee, are you pressing the amendments?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, in view of the assurance, I am not pressing my amendments.

The amendments (Nos. 75 to 89) were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Amendment Nos. 90 to 96 by Shri Sanatan Bisi.

Mr. Bisi, are you pressing the amendments?

SHRI SANATAN BISI: Sir, as per the practice and procedure, those who are pressing the amendments, as per the convention ....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Bisi, you have already moved the amendments and you have spoken on them. Are you pressing the amendments or not?

SHRI SANATAN BISI: Mr. Chairman, Sir, we are going away from the practice, procedure and convention of the House. Last time, when we pressed the amendments, as that time, we were allowed to speak something in support of the amendments. Unless and until we speak something, what is the use of moving the amendments?

MR. CHAIRMAN: Mr. Bisi, have you already spoken on the Motion or not?

SHRI SANATAN BISI: Sir, I have not spoken today.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI SANATAN BISI: Mr. Chairman, Sir, the other thing I want to say is this. As per the Rules and Procedures of the House and as per the conventions of the House, when we move amendments, we should be allowed to speak in favour of the amendments and state the reasons for which we are moving them.

MR. CHAIRMAN: You have already moved the Amendment. You have moved it earlier.

SHRI SANTATN BISI: That was a detabe.

MR. CHAIRMAN: Yes. You have moved the Amendments already. I am now asking whether ....(Interruptions)

SHRI SANATAN BISI: Mr. Chairman, Sir, that was a debate. Now, we are moving the Amendments.

MR. CHAIRMAN: Your Amendment was moved. That is why it was admitted. Are you pressing for the amendment?

SHRI SANATAN BISI: Yes, I am pressing for the Amendment.

MR. CHAIRMAN: Are you pressing for the Amendment?

SHRI SANATAN BISI: Yes, I am pressing for the Amendment. (Interruptions)... By pressing for it, I just want to say something. I don't want voting. I only want to say something on the Amendments.

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): सर, इन्हें बोल्ने का मौका दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बतलाइये क्या कहना चाहते हैं?

श्री सनातन बिसि: चेयरमेन साहब, मेरा जो अमेंडमेंट है:

that is valid in nature. I am not concered with voting. This is the property of the House. The Amendment (No. 94) which I have moved relates to paragraph 59. My Amendment is: 94. That at the end of the motion, the following be added, nemely:—

"but regret that the Address does not mention about the assurance of the Government that it will not in any manner directly and indirectly attempt to subvert the Constitution and float democratic norms and standrads."

Sir, so far as Bihar is concerned, there is no mention in the Governor's report about complying with Article 256. So far as Article 256 is concerned, before issuing the proclamation under Article 356, it is mandatory on the part of the Union Government to use Article 256, and it should have been used....(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: One minute, please.

SHRI SANATAN BISI: The Governor's report was laid on the Table of the House. Let us examine the Governo's report.

MR. CHAIRMAN: What is the number of the Amendment you are mentioning? I am talking of Amendment Nos. 92—96.

SHRI SANATAN BISI: I am talking of Amendment No. 94. ....(Interruptions)... things are very clear. Mr. Chairman, Sir, this is not the way to avoid thing. We can discuss every thing. I am talking of Amendment No. 94 which reads as follows:—

94 That at the end of the motion, the following be added, nemely:—

"but regret that the Address does not mention about the assurance of the Government that it will not in any manner directly and indirectly attempt to subvert the Constituion and float democratic norms and standrads."

Sir, such an amendment was adopted in the House in the year 1980....(*Interruptions*)... It is very valid Amendment.

MR. CHAIRMAN: It has already been moved. You have already moved it. All the hon. Members were asked to move their amendments, you had also moved your Amendments. Now, the question is: Are you pressing for the Amendments or are you withdrawing them? That is the issue. No debate, no argument.

SHRI SANATAN BISI: No, no, no. The procedure is not like that ....(*Interruptions*)..... The procedure is not like that. Sir, I have to speak.

MR. CHAIRMAN: No speaking, please. No speaking, please.

SHRI SANATHAN BISI: Mr. Chairman, Sir, I am only saying that so far as Bihar is concerned, unless and until article 256 is complied with, they cannot use Article 356. Furthermore, so far as the practical procedure of the House is concerned, the President's Address, which is an official document, was laid on the Table of the House on 22nd February, but today is 10th March. What has happened to the Proclamation? It is no more in existence. The Government should have brought in an amendment for deletion of paragraph 59.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Are you now pressing for the Amendment?

SHRI SANATAN BISI: the last thing.....(*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: Are you pressing for the Amendment?

SHRI SANATAN BISI: Sir, the last thing is .....(*Interruptions*)....

Sir, the last thing is about the National Agenda. So far as the National Agenda is concerned, they cannot term it as "national". As in the case of National Anthem and National Song, they cannot use the word "national"

unless and untill it has the concruence of the Parliament. It cannot be a common agenda.

MR. CHAIRMAN: Are you pressing for the Amendment?

SHRI SANATAN BISI: No, Sir.

MR. CHAIRMAN: Are you pressing for the Amendment or are you withdrawing it?

SHRI SANATAN BISI: Sir, the question is ....(*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing your Amendments?

SHRI SANATAN BISI: I am withdrawing.

MR. CHAIRMAN: All right.

*The amendments (Nos. 90 to 96) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendment Nos. 124 and 125, Shri Vayalar Ravi. Are you pressing?

SHRI VAYALAR RAVI: I am not pressing and I don't want to create a new precedent.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing?

SHRI VAYALAR RAVI: Yes, I am withdrawing.

*The amennments (Nos. 124 and 125) were, by leave withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendment Nos. 183 to 189, Shri Suresh Pachouri.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैंने 183 से 189 तक जो संशोधन पेश किए थे उन्हें वापस लेता हूँ इस आग्रह के साथ कि जो संशोधन 186 और 179 में जो भोपाल गैस त्रासदी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पैकेज संबंधी बातों की गई हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी बयान दें।

*The amendments (Nos. 183 to 189) were, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: Amendment Nos. 190 to 209, Shri Hanumanthappa. He is not present.

*The amendments (Nos. 190 to 209) were negatived.*

MR. CHAIRMAN: Now, the question is ...(*Interruption*)..

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): It cannot be negatived. You have to give the permission is withdraw.

MR. CHAIRMAN: Nobody is seeking permission for withdrawal. He is not there.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Therefore, the question of negation does not arise.

MR. CHAIRMAN: When he is not there to withdraw it, then it has to be rejected. What to do?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: There is no question of their being negated.

MR. CHAIRMAN: He has already moved them long back. Now they are no the record, either they have to be agreed to or rejected.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): The procedure is that if the Member moves an amendment, then only he is entitled to withdraw it. In case he is absent, it is for the House to accept, or, not to accept it. Therefore, you are absolutely correct when you say that the amendments are negated.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

That the Member of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 22, 1999."

*The Motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty three minutes past one of clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

#### SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1998-99 (MARCH, 1999)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) 1998-99 (March, 1999).

#### STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF GOA

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS  
(SHRI L.K. ADVANI): Madam, I beg to move the following Resolution :-

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 10th February, 1999 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Goa."

उपसभापति जी, मैं समझता हूँ कि धारा 356 के अधीन जब भी कार्यवाही देश में की गई है और उस कार्यवाही के समर्थन में प्रस्ताव सदन में रखा गया है, सदैव इस पर विवाद होता है। जनता में भी विवाद रहा है और दलों में तो निश्चितरूप से विवाद रहा है। मैं समझता हूँ कि इन 50 सालों में यह एक असाधारण अवसर होगा, सर्वथा अद्वितीय, सर्वथा अपूर्व, जब कि इस अनुच्छेद का उपयोग करना चाहिए, इसकी मांग विधान सभा के सदस्यों की ओर से, पार्टियों की ओर से लगभग एक मत से हुई है। हम सांसद हैं और विशेषकर जो लोग लोकसभा में हैं, या जो विधान मंडल में होते हैं, किसी विधान सभा में होते हैं, वे हमेशा चाहते हैं कि उनका पांच साल का कार्यकाल पूरा रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती न हो। लेकिन गोवा और गोवा की विधान सभा ने ऐसी स्थिति प्रस्तुत की कि राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार 40 सदस्यों में से 36 ने यह मांग की कि विधान सभा को भंग किया जाए। और राष्ट्रपति शासन के अधीन इस पर चुनाव करवाए जाएं। वैसे संक्षेप में अगर इतिहास कहूँ तो इतना ही कहूँ कि जब चुनाव हुआ 1994 में तब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दिसम्बर के महीने में चुनाव हुआ था। तो इसलिए वहाँ पर राज्यपाल ने जो सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस "आई", उसके नेता श्री प्रताप सिंह राणे को आमंत्रित करके कहा कि आप सरकार बनाइए। महीने के अंदर आप अपना बहुमत प्रमाणित करिए। उस महीने के अंदर एक विरोधी दल, एम.जी.पी., में विभाजन हो गया और उसके चार सदस्यों ने अलग दल बना करके कांग्रेस "आई" की सरकार का समर्थन किया। बहुमत प्रमाणित हो गया। साढ़े तीन साल तक उस बहुमत के आधार पर श्री प्रताप सिंह राणे वहाँ के मुख्य मंत्री रहे। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया और 10 सदस्यों ने, 10 विधायकों ने अलग हो करके एक राजीव गोआ कांग्रेस नाम से पार्टी बनायी। उस राजीव गोआ कांग्रेस ने दावा किया कि हमारा बहुमत हो गया है। फिर उनकी सरकार बनी और